अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री विकास पाराशर श्री दीनदयाल स्वामी 01	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
17.12.2025	महन्त ओमप्रकाश बनाम श्री दादू मंदिर/दादूद्वारा नरायना (2025/500) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री दीनदयाल स्वामी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, शामिल मिसल हो। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी, धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 23.12.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
23.12.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 16.12.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी, धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 बाबत निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 जिसका की वादग्रस्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है के द्वारा गलत आधारों पर वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बिना रिकॉर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाये एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली जिसका आज दिनांक तक निस्तारण नहीं किया जा रहा है एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 29.01.024 के तहत प्रार्थी जो कि वर्तमान में महन्त एवं गद्दी पर आसीन है के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हो पा रहा है एवं आराजीयात के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 से पीडित एवं प्रभावित पक्षकार है जिससे उसके हक एवं अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 29.01.2024 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 29.01.2024 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की अनुमति प्रदान किए जाने का आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत निवेदन किया कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं है। कानूनन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नहीं होने से उन्हें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध अपील करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 96 जा0दी0 चलने योग्य नहीं होने से अपील खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें। हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसमें उनके द्वारा अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से पाया कि राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट साम्भरलेक द्वारा प्रकरण संख्या 16/1998 बउनान महन्त हरिराम बनाम दादूदयाल महासभा में दिनांक 19.08.2019 को पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया है कि महन्त गोपालदास को दादूद्वारा नरायना की सम्पत्ति एवं सम्पदा महन्त में निहित रही है एवं स्वामी होने के कारण उक्त सम्पत्ति के व्यवस्था देखने का वह अधिकारी है एवं दादू द्वारा नरैना की समस्त सम्पदा उसके अधीन होने के कारण उसके अधिकार मे है। उक्त प्रकरण में दादूदयाल महासभा पक्षकार रही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष प्रस्तुत वाद तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में महंत गोपालदास अथवा उनके शिष्य को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2013 (3)डब्ल्यू.एल.सी. पेज 526 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट है कि "किसी कार्यवाही में पारित आदेश से सारतः कोई भी व्यक्ति उस आदेश के विरूद्ध अपील कर सकता है यदपि उस कार्यवाही में पक्षकार नहीं रहा हों।" चूँकि अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत निवेदन किया कि अप्रार्थी 1 जिसका की वादग्रस्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है के द्वारा गलत आधारों पर वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बिना रिकॉर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाये एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण आदेश 39 नियम 3 क जा0दी0 के अनुसार 30 दिन में नहीं कर उसे जारी रखे हुए है जिससे प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पा रहा है एवं वह अपने हक व हिस्से की आराजीयात के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहा है। इसलिए प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता की विधिक सलाह अनुसार उपरोक्त अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपने अधिवक्ता की कानूनी सलाह के आधार पर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है जिसे अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है ताकि प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सके।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोष जनक नही होकर मिथ्या है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम सव्यय खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, जवाब एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा आर0बी0जे0 (21) 2014 पेज संख्या 472 के न्यायिक दृष्टांत में अंकन है कि " **Purpose of Rules of limitation is not to destroy the rights of the parties, rather the idea is that every**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

लगातार....

legal remedy must be kept alive for a legislatively fixed period of time." इस अनुसार हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं कर मेरिट पर किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील प्रस्तुती में हुयी देरी को न्यायहित में कन्डोन कर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 जिसका कि वादग्रस्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है के द्वारा गलत आधारों पर वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बिना रिकॉर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाये एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली जो कि कतई अविधिक होकर काबिल निरस्तनीय है।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 29.01.2024 के तहत प्रार्थी जो कि वर्तमान महन्त एवं गद्दी पर आसीन है के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हो पा रहा है एवं अराजीयात के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय आर्थिक एवं मानसिक क्षति कारित हो रही है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 29.01.2024 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं है उन्हे अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के संबंध में आदेश पारित किये गये है, जिससे कोई विपरित प्रभाव नहीं पड रहा है यदि अपीलांट उक्त आदेश से किसी भी प्रकार से प्रभावित हो रहे है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिक रूप से कार्यवाही करें। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के समक्ष एवं राजस्व वाद तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। उक्त वाद पत्र तथा प्रार्थना पत्र में अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं कर बिना सुनवाई का अधिकार दिये एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया जबकि सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक द्वारा प्रकरण संख्या 16/1998 बउनान महन्त हरिराम बनाम दादूदयाल महासभा में दिनांक 19.08.2019 को पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया है कि **दादूद्वारा नरायना की सम्पत्ति एवं सम्पदा महन्त में निहित रही है एवं स्वामी होने के कारण उक्त सम्पत्ति के व्यवस्था देखने का वह अधिकारी है एवं दादू द्वारा नरैना की समस्त सम्पदा उसके अधीन होने के कारण उसके अधिकार मे है।** उक्त प्रकरण में दादूदयाल महासभा पक्षकार रही है उपरोक्त तथ्य वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को भली भांती ज्ञात थे। उक्त एकपक्षीय स्थगन आदेश से अपीलांट का विरासती नामान्तकरण स्वीकृत नहीं हो पा रहा है जिससे वह राज्य सरकार की योजनाओ सें भी वंचित हो रहा है इस संबंध में हमारा मत है कि फौतगी विरासत स्वीकृत करवाना प्रत्येक काश्तकार का अधिकार है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार....

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

लगातार----	न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 8/2024 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 को महंत गोपालदास के विधिक वारिसान के नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज करने की हद तक स्थगित किया जाता है एवं शेष आदेश यथावत रहेगा। प्रकरण उपरोक्तानुसार निर्णित कर अधीनस्थ न्यायालय को इन प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए एक माह में अंतिम रूप से निस्तारण करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील टी0ए0 संख्या 500 /2025 जिला जयपुर

2024/500

महन्त ओमप्रकाश स्वामी चेला महन्त स्व0 गोपालदास दादूपंथी दादूपीठ दादूद्वारा नरायना जिला जयपुर।

— अपीलांट

बनाम्

1. श्री दादू मंदिर/दादूद्वारा नरायना नाबालिक जरिये तथाकथित वाद मित्र श्री दादू दयालु महासभा जयपुर पंजीकृत जरिये मंत्री नन्दलाल स्वामी पता– श्री दादू महाविद्यालय एवं छात्रावास मोती डूंगरी रोड़ जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय दूदू जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, दूदू दिनांक 29.1.2024 जो प्रकरण संख्या 8/2024 में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट निम्न निवेदन करता है:–

(अ) यह कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, दूदू के समक्ष एक वाद घोषणा, दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम उदयपुरिया तहसील दूदू में स्थित नया खाता संख्या 54 व पुराना खाता संख्या 282 कुल खसरा नम्बर 136 कुल रकबा 56.1100 हैक्टर व नया खाता संख्या 33 व पुराना खाता संख्या 22

Scanned with CamScanner